



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

( वित्त मंत्रालय )

कार्यालय आयकर आयुक्त - प्रथम कानपुर  
आयकर भवन, 16/69, सिविल लाइन्स, कानपुर

विषय: आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12कक(1) में निबन्धन हेतु

फ0सं0 1006/1710/आ0आ0 प्रथम/निबन्धक/तकनीकी/कानपुर/792 दिनांक: 17/05/2013

न्यास संस्था का नाम व पता : आत्म वाणी वेलफेयर सोसाइटी,  
एन0 एल0 10/45, बर्सा-6,  
कानपुर

उपरोक्त न्यास संस्थान जिसका गठन दिनांक 12/12/2005 को हुआ है के द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 12क (1) के अन्तर्गत निर्धारित फार्म में पंजीकरण हेतु अपना आवेदन पत्र दिनांक 19/11/2012 को इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है। अतः उपरोक्त न्यास/संस्थान का पंजीकरण आयकर अधिनियम की धारा 12कक(1) के अन्तर्गत दिनांक 19/11/2012 से स्वीकृत किया जाता है।

आवेदन की प्रविष्टि कार्यालय में रखे गये धारा 12कक(1) के आवेदन रजिस्टर में क्रम संख्या 1006/1710 पर कर दी गयी है।



प्रतिलिपि प्रेषित :-

ह0/-

( बी0 पी0 सिंह )

आयकर आयुक्त-प्रथम,  
कानपुर

- 1 आत्म वाणी वेलफेयर सोसाइटी, एन0 एल0 10/45, बर्सा-6, कानपुर, को निर्देश दिया जाता है कि वह अपनी वार्षिक प्राप्तियों और खर्चों का पूर्ण विवरण और यदि नियमों या विनियमों में कोई परिवर्तन/संशोधन किये गये हो तो उसकी सूचना सम्बन्धित आयकर अधिकारी/आयकर उपायुक्त आयुक्त को अवश्य दें।
2. अपर /संयुक्त आयकर आयुक्त,-1, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सहा0/उपायुक्त आयकर आयुक्त,-1 कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(सूर्य कान्त मिश्र )

आयकर अधिकारी ( तकनीकी )  
कृते आयकर आयुक्त -प्रथम ,कानपुर

(सूर्य कान्त मिश्र)  
आयकर अधिकारी (तकनीकी)  
कार्यालय आयकर आयुक्त-1  
कानपुर